

INDEX

Sr. No.	Particulars	Page No.
1.	Introduction	1-7
	Need for access to Justice	1
	Alternative Dispute Resolution	3
	People's Initiative for Justice	5
	The Haryana Context	7
2.	Details of the Project	8-13
	a) Constitution of Conciliation Committee	8
	b) Tenure of the Committee	10
	c) Functioning of the Committee	10
	d) Categories of cases to be handled	12
	e) Tentative Targets and Evaluation	12
3.	Whom to Contact	14-15

INTRODUCTION

Need for access to Justice:

Justice is the foundation of any civilized society. Preamble to the Constitution of India includes as a Constitutional goal '*Justice – social, economic and political*'. Article 39-A of the Constitution provides for ensuring equal access to justice. Administration of justice involves protection of the innocent, punishment of the guilty and satisfactory resolution of disputes. It has been rightly said that "An effective judicial system requires not only that just results be reached but that they be reached swiftly."

Steps have been constantly taken to simplify procedures and to make the working of the system more efficient by judicial reforms and by management techniques. However, the task before the legal fraternity in India is gigantic, to say the least. The following figures quoted by CJI R C Lahoti (as he was then) on Law Day, 2004, speak volumes:

Table 1: Strength of Indian Judiciary and Lawyers

Name of Court	Approved Strength	Actual Strength	Vacancies
Supreme Court of India	26	25	1
High Courts	719	521	198
Subordinate Courts	13,204	11,103	2101
No. of advocates enrolled in the country	8,58,294		

Table 2: Pendency of Litigation as on 30/6/2004

Name of Court	Cases Pending	Avg. Institution	Avg. Disposal
Supreme Court of India	29,315	42,200	40,400
High Courts	32,24,144	12,41,000	11,23,500
Subordinate Courts	2,53,50,370	1,42,43,500	1,32,29,000

Even as the Indian Judiciary, working under considerable handicaps such as inadequate funds, budgetary allocations for law and justice not being part of the plan expenditure, shortage of resources, shortage of staff and infrastructure, shoulders the phenomenal burden of the volume of litigation and range of cases, the figures above reveal an acute need for alternative mechanisms for dispute resolution.

Unfortunately, the currently available infrastructure of courts in India is not adequate to settle the growing

litigation within reasonable time. Despite the continual efforts, a common man may sometimes find himself entrapped in litigation for as long as a life time, and sometimes litigation carries on even on to the next generation.

In the process, he may dry up his resources, apart from suffering harassment. Thus, there is a chain reaction of litigation process and civil cases may even give rise to criminal cases. Speedy disposal of cases and delivery of quality justice is an enduring agenda for all who are concerned with administration of justice.

In this context, there is an imminent need to supplement the current infrastructure of courts by means of **Alternative Dispute Resolution (ADR)** mechanisms. Apart from bringing efficiency in working of the judiciary, measures are being taken all over the world for availing ADR systems for resolving pending disputes as well as at pre-litigation stage. Efforts towards ADR have met with considerable success and good results elsewhere in the world, especially in the litigation - heavy United States, where professional teams of mediators and conciliators

have productively supplemented the dispute resolution and adjudication process.

In India, The Legal Services Authorities Act, 1987 has been enacted with a view to provide legal aid to the needy and also to supplement justice delivery by methods of mediation and conciliation as ADR systems – both court annexed and court referred, apart from out of court or prelitigative mediation and conciliation.

Better Justice:

Adjudication of disputes through courts, though sometimes unavoidable, does not provide the most satisfactory or happy solution in all cases. Arbitration, mediation and conciliation are accepted modes of alternative dispute resolution, which have been statutorily recognized in Section 89, CPC.

Even so, a common man, particularly in the rural area, may hardly be benefited by these mechanisms, unless persons who understand his mind-set interact with him in a suitable and congenial environment, to solve disputes, without substantial costs involved.

Certain kinds of disputes such as matrimonial disputes, family disputes, disputes with neighbours, particularly in rural areas, and several other categories of petty civil and criminal cases, which form a substantial percentage of pending litigation, can be better and more satisfactorily resolved by *organized and institutionalized processes of mediation or conciliation* through intervention of public spirited, respected and senior citizens. More so, as these processes may allow for a greater consideration of local sensitivities and customs.

People's Initiative for Justice:

Professional mediators, arbitrators, conciliators usually based out in urban areas and large cities may not have adequate reach to certain categories of litigants, geographical areas and cases. However, there are eminent public spirited and socially motivated persons, who are well-conversant with the mind-set and environment of such litigants and their services can be availed of for resolving such disputes. Such people need to be identified, guided, effectively utilized and their contribution acknowledged. Their organized and

institutionalized interactions with affected parties can result in satisfactory resolution of several kinds of disputes, which can be formalized by way of decree of Lok Adalat.

Needless to say, this will considerably reduce the load on the courts apart from providing instant justice at the door-step, without substantial costs being involved. This will also avoid procedural technicalities and delays and justice will hopefully be based on truth and morality, as per acknowledged considerations of delivering social justice.

The unresolved disputes can be settled by adjudication. Teams of persons constituted under the supervision and control of the judicial authorities can also settle disputes at pre-litigation stage and can also be utilized for legal literacy. They can reduce unnecessary litigation and make certain areas litigation free. This project will be called **People's Initiatives for Justice**. This will be consistent with the spirit of preventive and strategic legal aid, envisaged under the Legal Services Authorities Act, 1987 and guidelines of National Legal

Services Authority for counseling and conciliation in family disputes.

The Haryana Context:

In the State of Haryana, to successfully address the pending litigation, it is required to identify about 2000 persons out of a population of approx. 2 Crore across 20 Districts i.e. about 100 persons per district. It is envisaged that 50 conciliation committees per district would function which can interact with almost the entire population of existing or potential litigants spread over about 300 villages per district. A beginning can, however, be made by identifying 5-10 persons for constituting about 2 to 3 committees per district and the process of identification can continue in due course.

Success of this project will of course depend on ground level implementation efforts and to some extent, involvement of local people as well. However difficult the task may appear to be, sincere and perseverant efforts can convert this dream into reality.

II. DETAILS OF THE PROJECT

To ensure implementation success in the long term, this project will initially run as a pilot for a year on a small scale level to ascertain success factors, fine tune the project structure and gain inputs for scaling up the project on a larger level.

a) Constitution of Conciliation Committee

- **Composition:** The District Legal Services Authority (Chairman and Secretary), with the approval of State Legal Services Authority, will have the responsibility to identify from among public spirited persons, members of a team, to be called the 'Conciliation Committee'. Each Committee will comprise two to five nominated members, residing preferably in or close to the area of their working.
- **Selection Criteria:** The primary function of the "Conciliation Committee" being dispute resolution, acceptability of its members and their decisions is a critical success factor. In this view, formal qualification would be a less important criterion for

selection. The chief selection criterion would be the knowledge of various local issues and respect commanded by the member in the local area. This assessment would be made by the Chairperson / Secretary of the DLSA and shall be based on a number of factors including reputation, public enquiry, antecedents and feedback from the local administration (which includes but is not limited to officials such as Deputy Commissioner, Superintendent of Police who deal with the local population on several issues and events on a frequent basis). Members may be selected from amongst retired judicial/civil service officers, public spirited advocates, social activists, educated house wives, teachers or any other suitable persons.

- The DLSA may nominate one of the members of the team as coordinator. The conciliation committee will be allowed access to the data of relevant pending cases.

b) Tenure of the Committee

- In the pilot of the project, the Committee will be constituted for a period of one year, which period can be modified from time to time.

c) Functioning of the Committee and acknowledgement of their services

- The DLSA will guide the Committee and have periodical meetings, preferably every week and briefly record the minutes. The progress of the committee will also be reviewed in these meetings. During the pilot of this project, the District and Sessions Judges as well as Chief Judicial Magistrates in the State of Haryana will set aside one hour on every Wednesday i.e. 4 P.M. to 5 P.M. for this purpose, which will be notified outside their court room. This will ensure dedicated time, support and commitment from the top to the committee and the project itself.
- The committee can hold conciliation camps or have its sitting at a suitable place and notify its visit to that place with the help of DLSA. At such a camp

or meeting, parties can be assisted in arriving at a just settlement which can thereafter be recorded in the form of a decree by a Lok Adalat.

- It is envisaged that the committee will work on honorary basis and members be driven by internal motivation of the spirit of social service. However, they will be reimbursed actual expenses incurred and their services will be appropriately acknowledged. The members would get due recognition from the HLSA for their work and contribution as members of the conciliation committee. In due course of the project, however, a system of performance or result based remuneration may be evolved.
- The Committee will be at liberty to involve such other persons including law students, neighbours, relatives or other eminent citizens, as may be considered useful for resolving the disputes. Any such involvement would be subject to discussion with the relevant DLSA.

d) Categories of cases to be handled

- The category of cases to be handled will include Matrimonial or other family disputes, disputes with neighbours, cheque bouncing cases, bank loan cases, encroachment of public property or such other cases, as may be considered suitable. The category of cases is not exhaustive, and would be fine tuned as per the requirements.

e) Tentative targets and Evaluation

- The DLSA will give a progress report to the SLSA every three months.
- The SLSA will also have interaction with the Committees every three months on Divisional basis in all the four Divisions in the State.
- In the pilot of the project, five villages will be taken in each district but more areas can be taken up depending upon availability, success rate and capacity of the conciliation committees.

- The project target in the pilot stage will be to obtain 5% improvement in number of pending cases, besides pre-litigation cases, every year. In due course, upto 25% of pending civil and petty criminal cases are expected to be settled by People's initiative.

III. WHOM TO CONTACT

<u>Haryana State Legal Services Authority</u>	<u>Phone No.</u>
Member Secretary, Haryana State Legal Services Authority	0172-2604055
Joint Member Secretary, Haryana State Legal Services Authority	0172-2605655

District Legal Services Authorities of Haryana**¹

<u>District Ambala</u>	<u>Phone No.</u>
Chairman	0171-2536300
Secretary	0171-2531471

<u>District Bhiwani</u>	
Chairman	01664-243144
Secretary	01664-242294

<u>District Faridabad</u>	
Chairman	0129-2286698
Secretary	0129-2292294

<u>District Fatehabad</u>	
Chairman	01667-231222
Secretary	01667-231034

<u>District Gurgaon</u>	
Chairman	0124-2321485
Secretary	0124-2301010

<u>District Hissar</u>	
Chairman	01662-232376
Secretary	01662-234245

<u>District Jhajjar</u>	
Chairman, District Legal Services Authority-cum-Addl. District & Sessions Judge-I	01251-254341
Secretary	01251-252006

<u>District Jind</u>	
Chairman	01681-245291
Secretary	01681-245447

¹ ****NOTE:** At the District Level, the **Chairman** of the District Legal Services Authority (DLSA) is the District & Sessions Judge and the **Secretary** of the District Legal Services Authority (DLSA) is the Chief Judicial Magistrate of the District, unless otherwise specified

District Kaithal	
Chairman	01746-234744
Secretary	01746-235444

District Karnal	
Chairman	0184-2269001
Secretary	0184-2269444

District Kurukshetra	
Chairman	01744-221130
Secretary	01744-223029

District Mohindergarh at Narnaul	
Chairman	01282-251222
Secretary	01282-252132

District Panchkula	
Chairman	0172-2565607
Secretary	0172-2575054

District Panipat	
Chairman, District Legal Services Authority-cum-Addl. District & Sessions Judge-I	0180-2651000
Secretary	0180-2652000

District Rewari	
Chairman	01274-224040
Secretary	01274-223447

District Rohtak	
Chairman	01262-242145
Secretary	01262-245480

District Sirsa	
Chairman	01666-247027
Secretary	01666-247460

District Sonapat	
Chairman	0130-2221888
Secretary	0130-2240050

District Yamuna Nagar at Jagadhari	
Chairman	01732-263300
Secretary	01732-236840

MEMBERS OF HARYANA STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Chief Justice of Punjab and Haryana High Court.	<i>Patron-in-Chief</i>
Judge, Punjab and Haryana High Court.	<i>Executive Chairman</i>
Secretary to Government, Haryana Administration of Justice Department.	<i>Member</i>
Secretary to Government, Haryana, Finance Department	<i>Member</i>
Secretary to Government, Haryana, Law and Legislative Department.	<i>Member</i>
Advocate General, Haryana.	<i>Member</i>
Director General of Police, Haryana.	<i>Member</i>
Chairman, Bar Council of Haryana & Punjab	<i>Member</i>
Director, Public Relations Department, Haryana.	<i>Member</i>
Chairman, District Legal Services Authority, Faridabad.	<i>Member</i>
Chairman, District Legal Services Authority, Rohtak.	<i>Member</i>
Chairperson, Haryana State Commission for Women.	<i>Member</i>
Director, Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department, Haryana.	<i>Member</i>
Chairman, Department of Law, M.D. University, Rohtak.	<i>Member</i>
<i>Member Secretary</i>	

भूमिका

सुलभ न्याय की आवश्यकता

न्याय किसी भी सभ्य समाज की नींव है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'न्याय - सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक' एक संवैधानिक लक्ष्य के रूप में सम्मिलित है। संविधान के अनुच्छेद 39-ए में न्याय की समान सुलभता निश्चित करने का प्रावधान है। न्याय प्रशासन का सम्बन्ध निर्दोष को सुरक्षा, दोषी को सजा और विवादों का संतोषप्रद समाधान है। यह सही कहा गया है कि एक प्रभावी न्याय प्रणाली में न केवल उचित परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता होती है बल्कि इसे शीघ्र प्राप्त करने की भी।

कार्य-प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और न्यायिक सुधार द्वारा व्यवस्था की तकनीकों के उपयोग से प्रणाली के संचालन को बेहतर बनाने हेतु लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारत में विधिक व्यवस्था के समक्ष जो कार्य

मौजूद है वह बहुत विराट है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आर.सी.लाहौटी ने विधि दिवस 2004 के अवसर पर निम्नलिखित आंकड़े उद्धृत किये थे जो बहुत कुछ कहते हैं:-

तालिका 1 : भारतीय न्यायपालिका और वकीलों की संख्या

न्यायालय का नाम	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	रिक्त स्थान
उच्चतम न्यायालय	26	25	1
उच्च न्यायालय	719	521	198
निचली अदालतें	13,204	11,103	2,101
देश में वकीलों की संख्या			8,58,294

तालिका 2 : 30.6.2004 को लम्बित मुकदमों की संख्या

न्यायालय का नाम	लम्बित मुकदमे	औसतन दायर मुकदमों की	औसतन फैसला किये
-----------------	---------------	----------------------	-----------------

		संख्या	गये मुकदमों की संख्या
उच्चतम न्यायालय	29,315	42,200	40,400
उच्च न्यायालय	32,24,144	12,41,000	11,23,500
निचली अदालतें	2,53,50,370	1,42,43,500	1,32,29,000

अपर्याप्त धनराशि, कानून और न्याय हेतु योजना खर्च के मद के अंतर्गत बजट-ऑवटन नहीं होना और कर्मचारियों व संसाधनों का अभाव जैसी विषम असुविधाओं के होते हुए भारतीय न्यायपालिका मुकदमों की विशाल संख्या और उसकी भिन्न-भिन्न किस्मों का भारी बोझ उठाए हुए है। ऊपर दी गई तालिका से विवादों के वैकल्पिक समाधान की व्यवस्था की नितान्त आवश्यकता भी उजागर होती है।

बढ़ रहे मुकदमों का समुचित अवधि में निपटारा करने के लिए भारत के न्यायालयों में दुर्भाग्यवश उपलब्ध संसाधन अभी पर्याप्त नहीं हैं।

निरंतर प्रयासों के बावजूद, एक आम आदमी कभी-कभी पूरे जीवन पर्यन्त मुकदमें में स्वयं को फंसा पाता है। कभी-कभी तो अगली पीढ़ी तक मुकदमेंबाजी चलती रहती है।

इसमें आदमी परेशानियों झेलने के साथ-साथ अपनी सारी पूँजी गँवा देता है। इस प्रकार मुकदमों की क्रमिक प्रतिक्रिया के रूप में एक बड़ी जंजीर बन जाती है और फिर दीवानी मुकदमों से फौजदारी मामलों तक का जन्म होता है। न्याय प्रशासन से जो लोग जुड़े हुये हैं उनके लिए मुकदमों का त्वरित निस्तारण और गुणवत्तापूर्ण न्याय उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

इस परिप्रेक्ष्य में, विवाद के वैकल्पिक समाधान की व्यवस्था के माध्यम से न्यायालयों के वर्तमान संसाधनों में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है। न्यायपालिका की कार्य प्रणाली में निपुणता लाने के अतिरिक्त, लम्बित मुकदमों के समाधान के लिए और मुकदमे से पूर्व की स्टेज पर भी वैकल्पिक समाधान की

व्यवस्था के जरिये सारे विश्व में उपाय किये जा रहे हैं। मुकदमों के भरमार वाले विशेषकर अमेरिका जैसे देश में विवाद-समाधान और न्याय व्यवस्था के पूरक के रूप में निपुण और दक्ष मध्यस्थों और सुलह कराने वालों ने अच्छे नतीजे दिये हैं। विश्व में अन्य स्थानों पर भी वैकल्पिक विवाद समाधान के प्रयास से अच्छे परिणाम और भारी सफलता मिली है।

आपसी सुलह और मध्यस्थता के जरिये वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम द्वारा जरूरतमंदों को विधिक सहायता प्रदान करने और न्याय देने की पूरक व्यवस्था के रूप में भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इसमें मुकदमा दायर होने से पूर्व और न्यायालय के बाहर होने वाले मध्यस्थता और आपसी सुलह के समाधान सम्मिलित हैं।

बेहतर न्याय:-

न्यायालयों के जरिये विवादों पर निर्णय होना कभी-कभी अपरिहार्य होता है लेकिन सभी मामलों में यह सर्वाधिक संतोषप्रद अथवा सुखद हल नहीं होता। पंचाट -निर्णय, मध्यस्थता और आपसी सुलह के माध्यम ही वैकल्पिक विवाद समाधान के स्वीकृत माध्यम हैं। इसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 द्वारा वैधानिक रूप से भी स्वीकार किया गया है।

इन पद्धतियों द्वारा आम आदमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में, मुश्किल से लाभान्वित होता है सिवाय जबकि उस व्यक्ति की मनःस्थिति को समझने वाले लोग समुचित व अनुकूल वातावरण में बिना भारी व्यय के विवाद को हल करने के लिए उससे बातचीत करें।

कुछ ऐसे विवाद जैसे वैवाहिक विवाद, पारिवारिक विवाद, पड़ोसियों के साथ वाले विवाद, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और कई अन्य श्रेणियों वाले छोटे दीवानी और आपराधिक मामले लम्बित मुकदमों की सूची में भारी प्रतिशत में हैं। जनहित भावना से प्रेरित, सम्मानित एवम् वरिष्ठ नागरिकों द्वारा एक संगठित एवम्

संस्थागत प्रक्रिया के अन्तर्गत मध्यस्थता और सुलह द्वारा बेहतर और अधिक संतोषप्रद रूप से ऐसे मामले हल किये जा सकते हैं। इससे भी अधिक, इन तरीकों में स्थानीय संवेदनाओं और प्रचलन का बहुत अधिक ध्यान रहता है।

न्याय के लिये लोगों की पहल

शहरी क्षेत्रों और बड़े नगरों में सामान्यतया रहने वाले सेवाकर्मी मध्यस्थ, पंचाट-निर्णायक एवम् सुलह कराने वाले व्यक्ति कई श्रेणी के पक्षकारों, भौगोलिक क्षेत्रों और मामलों में पर्याप्त पहुंच नहीं रखते। फिर भी ख्यातिप्राप्त और जनहित-प्रेरित और सामाजिक हित की भावना से भरपूर व्यक्तियों की सेवाएं ऐसे विवादों के हल के लिए ली जा सकती हैं। वे ऐसे पक्षकारों की मानसिक स्थिति और उस स्थान के वातावरण से भली प्रकार परिचित होते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें दिशा-निर्देश देना, उनकी सेवाओं का प्रभावी रूप से उपयोग करना और उनके सहयोग की स्वीकारोक्ति आवश्यक है। सम्बन्धित पक्षकारों के साथ संगठित और

संस्थागत रूप में उनके द्वारा विचार-विमर्श विभिन्न प्रकार के विवादों का संतोषप्रद समाधान ला सकता है। इसे लोक अदालत की डिग्री के रूप में औपचारिकता प्रदान की जा सकती है।

यह कहना अनावश्यक है कि बिना भारी व्यय के त्वरित न्याय को लोगों के द्वार तक पहुंचाने के अलावा इससे न्यायालयों का बोझ भी बहुत हद तक कम होगा। प्रक्रिया की तकनीकियों और विलम्ब से बचने के अतिरिक्त सामाजिक न्याय दिलाने की आशा और स्वीकृत मान्यता के अनुसार न्याय, सत्यता और नैतिकता पर आधारित होगा।

अनसुलझे विवादों को न्यायिक पद्धति से हल किया जा सकता है। मुकदमा दायर होने से पहले ही विवादों को निपटाने के लिए न्यायिक प्राधिकारियों के नियंत्रण और देखरेख में कुछ व्यक्तियों के दल गठित किए जायें। विधिक साक्षरता के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। वे अनावश्यक मुकदमों को कम करने के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों को मुकदमों से मुक्त भी

कर सकते हैं। इस कार्य-योजना को न्याय हेतु जनता की पहल कहा जायेगा। पारिवारिक विवादों में सलाह-मशविरा और आपसी सुलह के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवम् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अन्तर्गत ऐसा करना विधिक सेवा की असल मंशा के अनुरूप होगा।

हरियाणा के संदर्भ में

हरियाणा राज्य में लम्बित मुकदमों में सफलतापूर्वक विचार करने के लिए 20 जिलों में फैली लगभग 2 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 2000 लोगों को लेना होगा। इस प्रकार प्रत्येक जिले के लिए लगभग 100 व्यक्ति होंगे। यह भी विचार किया जा रहा है कि प्रत्येक जिले में 50 सुलह समितियाँ काम करें जो हर जिले के लगभग 300 गाँवों में फैले मौजूदा अथवा संभावित पक्षकारों की पूरी तादाद के साथ इन मामलों में बातें करे। 5 या 10 लोगों की पहचान करके और प्रत्येक जिले में उनकी 2 या 3 समितियाँ गठित करके

एक शुरूआत की जा सकती है। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

वास्तव में इस परियोजना की सफलता जमीनी स्तर पर इसे लागू करने के प्रयास पर निर्भर करेगी और कुछ सीमा तक स्थानीय लोगों की भागीदारी पर भी। फिर भी, काम कितना भी कठिन क्यों न लगे, सच्ची और लगनपूर्वक कोशिश से इस स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

I. परियोजना का विवरण

लम्बी अवधि में सफलतापूर्वक लागू करने के लिये यह परियोजना प्रारम्भ में सफलता के आधार निश्चित करने के लिए एक वर्ष हेतु छोटे स्तर पर और प्राथमिक तौर पर चलेगी। इस तरह परियोजना को ऊंचाई तक पहुंचाने, उसमें नई सोच भरने और उसके ढांचे को सुधारने का काम भी बनेगा।

(क) सुलह समिति का गठन

- **रचना:-** राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सहमति के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अध्यक्ष एवम् सचिव) का यह उत्तरदायित्व होगा कि सेवाभावी लोगों में से एक दल के सदस्यों का चयन किया जाये। इसे सुलह समिति कहा जायेगा। प्रत्येक समिति में अपने ही कार्य-क्षेत्र में या उसके निकट रहने वाले 2 से 5 व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर नामजद किये जायेंगे।

- **चयन का आधार:-** सुलह समिति का प्रमुख कार्य विवादों का समाधान करना है। उसके सदस्यों और उसके निर्णयों को स्वीकार करना भी इसकी सफलता का मापदण्ड होगा। इस दृष्टि से, किसी औपचारिक योग्यता का होना चयन हेतु अधिक महत्वपूर्ण लक्षण नहीं होगा। इसके सदस्यों को विभिन्न स्थानीय समस्याओं का ज्ञान होना और उस स्थान पर उन्हें सम्मान प्राप्त होना चयन के प्रमुख आधार होंगे। जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण के अध्यक्ष/सचिव द्वारा इसका निर्धारण किया जायेगा। सदस्य की प्रतिष्ठा, जन-साधारण से पूछताछ, पूर्व इतिहास एवम् स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी सहित कई बातों पर यह चयन निर्भर करेगा। इसमें उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी सम्मिलित होगी हॉलांकि उन तक सीमित भी नहीं रहेगी। ये अधिकारी विभिन्न समस्याओं और घटनाओं के सम्बन्ध में समय-समय पर स्थानीय लोगों के बीच काम करते रहते हैं। सदस्यों का चयन न्यायिक/सिविल सेवा के सेवा-निवृत्त अधिकारियों, जनहित भावना से प्रेरित वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षित गृहिणियों, अध्यापकों या अन्य उपयुक्त व्यक्तियों में से किया जा सकता है।

- दल के किसी एक सदस्य को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संयोजक नामजद किया जायेगा। सुलह समिति को सम्बद्ध लम्बित

मामलों का विवरण प्राप्त करने की छूट होगी।

(ख) समिति का कार्यकाल

- कार्ययोजना के अन्तर्गत समिति का गठन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। यह अवधि समय-समय पर संशोधित की जा सकेगी।

(ग) समिति की कार्यविधि और सेवाओं की स्वीकारोक्ति

- समिति को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मार्गदर्शन प्रदान करेगा और समय-समय पर, प्राथमिकता से प्रत्येक सप्ताह, बैठक होगी। उसका संक्षिप्त विवरण अंकित किया जायेगा। समिति की प्रगति इन बैठकों में देखी जायेगी। इस कार्ययोजना में हरियाणा में नियुक्त जिला एवम् सेशन जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रत्येक बुधवार को सांयकाल चार से पांच बजे के बीच एक घंटे

का समय इस उद्देश्य से अलग रखेंगे। इसे न्यायालय-कक्ष के बाहर विज्ञापित किया जायेगा। शिखर के स्तर से समिति के स्तर तक और परियोजना के लिए इसमें सभी के द्वारा समय देने के प्रति, समर्थन के सम्बन्ध में और समर्पण भावना के प्रति एक निश्चितता आयेगी।

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से सुलह कराने के लिए समिति शिविर लगा सकती है। किसी उपयुक्त स्थान पर बैठक कर सकती है और उस स्थान पर जाने की विज्ञप्ति जारी कर सकती है। ऐसे शिविर या बैठक में उचित निपटारा होने तक पक्षकारों को सहायता दी जा सकती है। इसे बाद में लोक अदालत की डिक्री के रूप में दर्ज किया जा सकता है।
- यह विचार किया गया है कि समिति निःशुल्क काम करे और सदस्यगण सामाजिक सेवा की

भावना से और अपनी अन्तःप्रेरणा से प्रेरित हों। उनके वास्तविक व्यय की पूर्ति उन्हें की जायेगी। उनकी सेवाओं को उचित मान्यता मिलेगी। सुलह समिति के सदस्यों को उनके कार्य एवम् योगदान के लिए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समुचित सम्मान दिया जायेगा। परियोजना के दौरान आगे चलकर काम के या परिणाम के आधार पर पारिश्रमिक की व्यवस्था की जा सकती है।

- विवादों के समाधान के लिए जब आवश्यकता हो तब विधि के विद्यार्थियों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और अन्य सम्मानित नागरिकों के साथ-साथ और भी लोगों को इसमें सम्मिलित करने के लिए समिति स्वतन्त्र होगी। सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विचार-विमर्श के उपरान्त ही इस तरह के लोगों को सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) विचारणीय मामलों की श्रेणियों:-

- विभिन्न मामलों की श्रेणी में, जो विचार हेतु लिए जायेंगे, वैवाहिक या अन्य पारिवारिक विवाद, पड़ोसियों से विवाद, चेक अस्वीकृत लौटने के मामले, बैंक ऋण के मामले, सार्वजनिक सम्पत्ति के अतिक्रमण वाले मामले या दूसरे उपयुक्त लगने वाले मामले भी आयेंगे। मामलों की यह श्रेणी अन्तिम नहीं है और आवश्यकतानुसार ठीक की जायेगी।

(ङ) प्रयोगात्मक लक्ष्य और मूल्यांकन

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा।
- राज्य के चारों मण्डलों में प्रत्येक तिमाही में हर एक मण्डल में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समितियों से विचार-विमर्श किया जायेगा।

- कार्य-योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले से 5 गांव लिए जायेंगे लेकिन सुलह समितियों की क्षमता, उपलब्धता और सफलता की अधिकता के आधार पर अधिक क्षेत्र भी लिए जा सकते हैं।
- इस परियोजना में मुकदमें से पूर्व के मामलों को छोड़कर लम्बित मामलों की संख्या में प्रत्येक वर्ष 5% की कमी प्राप्त करने का लक्ष्य होगा। कुछ समय के बाद, जनसाधारण की पहल पर लम्बित दीवानी और छोटे आपराधिक मामले 25% तक निपटाये जाने की अपेक्षा की जाती है।